

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-9/आ०-01-20/2023(स्वा०)/ पटना, दिनांक:-.....

डॉ० पियुष, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाउदपुर, पारू, मुजफ्फरपुर द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०-1017(2) दिनांक-11.09.2020 के अनुपालन में अपने निर्धारित कर्तव्य पर दिनांक-15.09.2020 से 29.04.2021 एवं दिनांक-30.06.2021 से 06.01.2022 तक कर्तव्य पर उपस्थित रहे। कोरोना से संक्रमित होने के कारण वे अस्वस्थ होने के कारण दिनांक-06.01.2022 से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे। स्वस्थ होने के उपरान्त दिनांक-30.11.2024 को पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

2. डॉ० पियुष द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० पियुष का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया जाता है डॉ० पियुष को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० पियुष का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० पियुष, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाउदपुर, पारू, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विभागीय सकल्प सं०-988(9) दिनांक-15.09.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के आधार पर आलोच्य अवधि के लिए निर्णय लिया जाएगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/आ०-01-20/2023(स्वा०) 48(9)/ पटना, दिनांक:-14.01.25

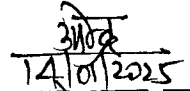
प्रतिलिपि:—महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० पियुष के कर्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:—डॉ० पियुष, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाउदपुर, पारू, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।